



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13052026-272506
CG-MH-E-13052026-272506

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 321]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 12 मई, 2026

सा.का.नि. 355(अ).—केंद्रीय सरकार, संसोधित रेल अधिनियम, 2008 अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिले में "दाहोद झाबुआ नई बड़ी लाइन वाया झाबुआ परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करता हू।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) व भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ, जिला- झाबुआ (म.प्र.) को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्टिशनर (अधिवक्ता) के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी अनुभाग झाबुआ जिला (म.प्र.) एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण -द्वितीय) पश्चिम रेलवे रतलाम के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में “झाबुआ जिले मे “दाहोद झाबुआ नई बड़ी लाइन वाया झाबुआ परियोजना”नाम की विशेष रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम :- ग्राम -खेड़ी तहसील झाबुआ,जिला - झाबुआ (म.प्र)

क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खसरा संख्या	अर्जनीय क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार सिंचित/असिंचित
1	2	3	4	5	6	7
1	झाबुआ	खेड़ी	16	1436/3/1	0.080	सिंचित

जिले का नाम :- ग्राम - मिंडल तहसील झाबुआ,जिला - झाबुआ (म.प्र)

क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खसरा संख्या	अर्जनीय क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार सिंचित/असिंचित
1	2	3	4	5	6	7
1	झाबुआ	मिंडल	51	41/1	0.0180	सिंचित

जिले का नाम :- ग्राम - करदावदबड़ी तहसील झाबुआ,जिला - झाबुआ (म.प्र)

क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खसरा संख्या	अर्जनीय क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार सिंचित/ असिंचित
1	2	3	4	5	6	7
1	झाबुआ	करदावदबड़ी	48	1864	0.32	सिंचित

जिले का नाम :- ग्राम - गोपालपूरा तहसील झाबुआ,जिला - झाबुआ (म.प्र)

क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खसरा संख्या	अर्जनीय क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार सिंचित/ असिंचित
1	2	3	4	5	6	7
1				121/1	0.0500	सिंचित
2				124/2	0.2100	सिंचित
3				125/1/3	0.2660	सिंचित
4				126/2	0.0240	सिंचित
5				126/1/1/2	0.0278	सिंचित
6				126/1/1/1/2	0.2935	सिंचित
7				188/2	0.0050	सिंचित
8				196/2	0.0100	सिंचित
9				197/1/1/1/1	0.0527	सिंचित

10	झाबुआ	गोपालपुरा	49	197/1/1/2	0.0350	सिंचित			
11				197/1/2	0.0223	सिंचित			
12				197/2/1	0.0200	सिंचित			
13				198/2/2/1	0.0115	सिंचित			
14				198/2/2/2	0.0115	सिंचित			
15				198/2/1/2/2	0.0170	सिंचित			
16				198/3/1/2	0.0063	सिंचित			
17				198/3/2/1	0.0260	सिंचित			
18				198/3/1/1/2	0.0903	सिंचित			
19				199/2	0.0850	सिंचित			
20				200/2/1	0.0625	सिंचित			
21				200/3/2	0.0400	सिंचित			
22				201/2	0.0800	सिंचित			
23				202/2	0.1550	सिंचित			
24				205/2/1	0.0506	सिंचित			
25				205/2/2	0.0294	सिंचित			
26				207/2	0.0300	सिंचित			
27				208/2	0.1700	सिंचित			
28				209/2	0.1500	सिंचित			
29				212/2	0.0900	सिंचित			
30				251/1	0.0344	सिंचित			
31				251/2	0.0037	सिंचित			
32				263/1	0.0145	सिंचित			
33				263/2	0.0055	सिंचित			
34				264/1/1/1/1/1	0.0134	सिंचित			
35				264/1/2	0.0020	सिंचित			
36				264/2	0.0021	सिंचित			
37				264/3	0.0055	सिंचित			
38				268/1/2	0.0200	सिंचित			
39				268/2/1	0.0500	सिंचित			
40				268/3/1	0.0450	सिंचित			
41				268/4	0.0066	सिंचित			

[फा. सं. E-738923]

कन्हैया झा, मुख्य अभियन्ता (निर्माण)-III

MINISTRY OF RAILWAYS**[Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Mumbai, the 12th May, 2026

G.S.R. 355(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of Special Railway Project, namely, "New BG Line between Dahod – Indore of Ratlam division in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, **Sub-Divisional Officer & Land Acquisition Officer Jhabua, District- jhabua (M.P.)** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The Land Plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person aforesaid Office of the Competent Authority.

Schedule

Brief description of land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, namely, " New BG Line between Dahod – Indore of Ratlam division" in the state of Madhya Pradesh.

Village: Khedi

Tehsil: Jhabua

District: Jhabua(M.P.)

S.No.	Name of Tehsil	Name of Village	P.H.No.	Khasara No.	Land to be acquired Area In Hect.	Type of Land Irrigated / Unirrigated
1	2	3	4	5	6	7
1	Jhabua	khedi	16	1436/3/1	0.0800	Irrigated

Village: Mindal

Tehsil: Jhabua

District: Jhabua(M.P.)

S.No.	Name of Tehsil	Name of Village	P.H.No.	Khasara No.	Land to be acquired Area In Hect.	Type of Land Irrigated / Unirrigated
1	2	3	4	5	6	7
1	Jhabua	Mindal	51	41/1	0.0180	Irrigated

Village: KardawadBadi

Tehsil: Jhabua

District: Jhabua(M.P.)

S.No.	Name of Tehsil	Name of Village	P.H.No.	Khasara No.	Land to be acquired Area In Hect.	Type of Land Irrigated / Unirrigated
1	2	3	4	5	6	7
1	Jhabua	KardawadBadi	48	1864	0.32	Irrigated

Village: Gopalpura

Tehsil: Jhabua

District: Jhabua(M.P.)

S.No.	Name of Tehsil	Name of Village	P.H.No.	Khasara No.	Land to be acquired Area In Hect.	Type of Land Irrigated / Unirrigated
1	2	3	4	5	6	7
1				121/1	0.0500	Irrigated
2				124/2	0.2100	Irrigated

3	JHABUA	Gopalpura	49	125/1/3	0.2660	Irrigated
4				126/2	0.0240	Irrigated
5				126/1/1/2	0.0278	Irrigated
6				126/1/1/1/2	0.2935	Irrigated
7				188/2	0.0050	Irrigated
8				196/2	0.0100	Irrigated
9				197/1/1/1/1	0.0527	Irrigated
10				197/1/1/2	0.0350	Irrigated
11				197/1/2	0.0223	Irrigated
12				197/2/1	0.0200	Irrigated
13				198/2/2/1	0.0115	Irrigated
14				198/2/2/2	0.0115	Irrigated
15				198/2/1/2/2	0.0170	Irrigated
16				198/3/1/2	0.0063	Irrigated
17				198/3/2/1	0.0260	Irrigated
18				198/3/1/1/2	0.0903	Irrigated
19				199/2	0.0850	Irrigated
20				200/2/1	0.0625	Irrigated
21				200/3/2	0.0400	Irrigated
22				201/2	0.0800	Irrigated
23				202/2	0.1550	Irrigated
24				205/2/1	0.0506	Irrigated
25				205/2/2	0.0294	Irrigated
26				207/2	0.0300	Irrigated
27				208/2	0.1700	Irrigated
28				209/2	0.1500	Irrigated
29				212/2	0.0900	Irrigated
30				251/1	0.0344	Irrigated
31				251/2	0.0037	Irrigated
32				263/1	0.0145	Irrigated
33				263/2	0.0055	Irrigated
34				264/1/1/1/1/1	0.0134	Irrigated
35				264/1/2	0.0020	Irrigated
36				264/2	0.0021	Irrigated
37				264/3	0.0055	Irrigated
38				268/1/2	0.0200	Irrigated
39				268/2/1	0.0500	Irrigated
40				268/3/1	0.0450	Irrigated
41				268/4	0.0066	Irrigated

[F. No. E-738923]

KANHAIYA JHA, Chief Engineer Construction-III